

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
(अनुभाग-1)

प.5(1)प्रसु/सम/अनु-1/2018

जयपुर, दिनांक : 05-11-2020

परिपत्र

राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन पर दिनांक 10.09.2019 से लागू प्रतिबंध को इस विभाग की आज्ञा दिनांक 15.09.2020 के द्वारा 15.09.2020 से 31.10.2020 तक हटाया गया था। उक्त अवधि समाप्त हो चुकी है।

राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि प्रतिबंध अवधि में कुछ विभागों द्वारा अपने स्तर पर ही अधिकारियों/कर्मचारियों के आदेश जारी कर कार्यान्वयन स्वीकृति हेतु प्रशासनिक सुधार विभाग को अनुमोदन हेतु भिजवाये जाते हैं।

कुछ विभाग अधिकारियों/कर्मचारियों को एपीओ कर इच्छित स्थानों पर स्थानान्तरण/पदस्थापन हेतु प्रस्ताव शिथिलन के क्रम में प्रशासनिक सुधार विभाग को भिजवा देते हैं। उक्त व्यवस्था स्थानान्तरण प्रतिबंध की मूल भावना के विपरीत है। इस संबंध में दिनांक 30.07.2020 को परिपत्र जारी कर समुचित रूप से निर्देशित किया गया है। यदि फिर भी किसी विभाग से उपरोक्तानुसार एपीओ कर प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्राप्त होंगे तो उसको अत्यंत गंभीरता से लिया जायेगा।

राज्य सरकार के समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण प्रतिबंध अवधि में अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन यदि राज्य हित में अति आवश्यक हो तो परिस्थितियों का उल्लेख करते हुये प्रस्ताव प्रशासनिक सुधार विभाग से अनुमोदित करवाकर ही स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश जारी करे तथा उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

उक्त परिपत्र राज्य के समस्त बोर्ड/निगमों/मण्डलों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं पर भी लागू होगा।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय
2. विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, समस्त माननीय मंत्रीगण / राज्य मंत्री गण
3. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव
4. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव
5. समस्त संभागीय आयुक्त
6. महानिदेशक, पुलिस राजस्थान
7. समस्त विभागाध्यक्ष
8. समस्त जिला कलेक्टर / पुलिस अधीक्षक
9. समस्त निगम / बोर्ड / आयोग
10. आयुक्त, जन संपर्क विभाग
11. रक्षित पत्रावली

www.rajteachers.com


(अश्विनी भगत)
प्रमुख शासन सचिव